

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी)2014क्यूआर-1-2

नई दिल्ली, दिनांक 12/08/2015

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,

(अन्य : मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में फैकल्टी सदस्यों के रूप में तैनात रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों और रेलवे भर्ती बोर्डों में अध्यक्ष के रूप में तैनात रेलवे अधिकारियों द्वारा तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखना।


बोर्ड ने दिनांक 03.09.13 के पत्र सं. ई(जी)98 क्यूआर 1-10 के तहत रेल प्रशिक्षण संस्थानों में फैकल्टी सदस्य के रूप में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तैनाती की संपूर्ण अवधि के लिए उनकी तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी। बोर्ड ने दिनांक 23.11.09 के पत्र सं. ई(जी)2009 आरएन-5-मिस.3 के तहत भी अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड के रूप में तैनात रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्य किराए का भुगतान करने पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए उनकी तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति दी थी।

2. रेलवे आवास आबंटन/अपने पास रखने से संबंधित सभी अथवा किन्हीं मौजूदा प्रावधानों में कर्मचारियों की किसी श्रेणी/ग्रुप को जनहित में समुचित रियायत देने के लिए संपूर्ण बोर्ड के पास निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड ने निम्नानुसार निर्णय लिया है:-

- रेलवे भर्ती बोर्डों और सीटीआई में वर्तमान में तैनात अध्यक्ष और फैकल्टी सदस्यों को उनके संपूर्ण कार्यकाल के लिए रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जाए।
- सीटीआई के फैकल्टी या निदेशक के रूप में तैनात किए जाने वाले सभी नए अधिकारियों को सामान्यतः स्थानांतरण के मामले में मौजूद नियमों के अनुसार अर्थात् सामान्य किराए पर दो माह के लिए और सामान्य किराए (स्पेशल लाइसेंस शुल्क) के दोगुने पर अगले छः माह के लिए आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी।
- तैनात किए जाने वाले रेलवे भर्ती बोर्डों के सभी नए अध्यक्षों को ऊपर पैरा (ii) के अनुसार स्थानांतरण के मामले में मौजूद नियमों के अनुसार आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी। अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड, गुवाहाटी के संबंध में अपवाद होगा कि उन्हें संपूर्ण कार्यकाल के दौरान सामान्य किराए पर आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उन्हें गुवाहाटी मुख्यालय वाले पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में तैनात अधिकारियों के समान माना जाता है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।



(संजय गौरी)

उपनिदेशक, स्थापना(सा.)-II


सं. ई(जी)2014क्यूआर-1-2

नई दिल्ली, दिनांक 12/08/2015

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।

2. संयुक्त निदेशक (वित्त), अअमासं, लखनऊ ।

3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)




कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(जी)2014क्यूआर-1-2

नई दिल्ली, दिनांक 12/08/2015.

1. जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए, नई दिल्ली ।
2. महानिदेशक, रेलवे स्टॉफ कॉलेज, वडोदरा ।
3. निदेशक, इरिसेन/पुणे, इरीन/नासिक, इरिमी/जमालपुर, इरिसेट/सिकंदराबाद, इरिटीम/लखनऊ और जेआरआरपीएफ/लखनऊ।


(संजय गौरी)


उपनिदेशक, स्थापना(सा.)-II

सं. ई(जी)2014क्यूआर-1-2

नई दिल्ली, दिनांक 12/08/2015

प्रतिलिपि प्रेषित

- 1) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 2) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 3) जनरल सेक्रेटरी, इरपोफ (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 4) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 5) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, नई दिल्ली (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- 6) जनरल सेक्रेटरी, आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 7) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 8) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 9) अध्यक्ष, इण्डियन रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 10) सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 11) सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 12) सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001 ।
13. सेक्रेटरी जनरल, नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन, 825, सुपरटेक रेजिडेंसी, सेक्टर 5, प्लॉट नं. 6ए, गाजियाबाद-201010.


कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड.